दैनिक भास्कर

भारत का सबसे तेज़ बढ़ता अख़बार

वर्ष 10 अंक 287 । महानगर

जोधपुर, बुधवार 23 मई 2007 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष-7, 2064

मूल्य 1.75 रु. । कुल पेज 28

कानून की वैधता मामले में क्षेत्राधिकार बाधक नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ का महत्वपूर्ण निर्णय

विधि संवाददाता. जोधपुर

राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि कानून की वैधता संबंधित मुद्दे मुख्य पीठ में तय किए जा सकते हैं, चाहे उनका क्षेत्राधिकार जयपुर पीठ से संबंधित क्यों न हो। मुख्य न्यायाधीश एसएन झा व न्यायाधीश गोविंद माथुर की खंडपीठ ने यह व्यवस्था अलवर की मैसर्स अशोक लेलैंड लिमिटेड की ओर से दायर याचिका में दी है।

प्रार्थी के अधिवक्ता रमित मेहता ने राजस्थान वित्त अधिनियम 2006 के तहत बने लैंड टैक्स की वैधता को चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई अप्रैल माह में न्यायाधीश पीबी मजूमदार व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी की खंडपीठ में हुई। जहां पर राज्य सरकार ने क्षेत्राधिकार संबंधित आपत्ति पेशकर कहा कि इस मामले की सुनवाई मुख्य पीठ में नहीं की जा सकती। ...*शेष पेज 8 पर*